

31-3-2022

प्रार्थी के बकील उपस्थित। पेरकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी  
अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत  
रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
अपीलार्थी द्वारा उपलब्धताकार अखिल मण्डार द्वारा प्र.स.  
उप२/२७२ में पारित निर्णय दिनांक ११/२/२२ के विरुद्ध अपील  
पेश करने के लिए बिषम्ब की बगधि को कठोना किया जाता  
है। निर्णय सुनाया गया। फावली केसल शुमार टोकर  
नम्बर से कम हो तथा मूल अपील फावली के साथ  
जल्दी हो।

